


न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति  
(अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 होशंगाबाद (म0प्र0)

-: सूचना-पत्र :-


माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एडवाइजरी/निर्देश क्रमांक 345/आर.जी./2020, जबलपुर दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाइजरी दिनांक 20.03.2020 तथा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद के पृष्ठांकन क्रमांक /सां.लि./20 होशंगाबाद दिनांक 20.03.2020 के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुये केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टे/अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहे हैं :-

सरल क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	20.03.2020	15.04.2020
2	23.03.2020	17.04.2020
3	24.03.2020	21.04.2020
4	26.03.2020	24.04.2020
5	27.03.2020	25.04.2020
6	28.03.2020	27.04.2020
7	30.03.2020	28.04.2020
8	31.03.2020	29.04.2020

  
(इकबाल खॉन गौरी)  
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)  
होशंगाबाद (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त कॉलम नंबर-2 में वर्णित पेशी दिनाकों के वारंट/अभियुक्त को कॉलम नंबर-3 में वर्णित नियत दिनाकों को न्यायालय में पेश करें।

  
(इकबाल खॉन गौरी)  
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)  
होशंगाबाद (म.प्र.)